



सत्यमेव जयते

**भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**  
**विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,**  
**सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,**  
**अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.**  
**Tel: 022-28294728 / 28294756**  
**Fax: 022-28291754, E-mail: dcseepz\_mah@nic.in**

सं.सीपज़-सेज/श्रम/505/2015-16/पार्ट-II/03368

दिनांक: 08/02/2019

**परिपत्र सं. श्रम / 18 /2018-19**

विकास आयुक्त, सेज को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सेजों में स्थित यूनिटों के संबंध में उन पर लागू किए जाने तथा उनका उल्लंघन होने पर आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार इस कार्यालय को है। आज की तारीख में सीपज़ (इलेक्ट्रॉनिक्स) तथा जेम तथा ज्वैलरी सेक्टरों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल कामगारों / कर्मचारियों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है: (दिनांक 01/01/2019 से दिनांक 30/06/2019 तक की अवधि का संशोधित विशेष भत्ता)

**1. जेम तथा ज्वैलरी यूनिट्स (अवशिष्ट उद्योग):-**

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 5500	रु. 5000	रु. 4500
विशेष भत्ता	रु. 4358	रु. 4358	रु. 4358
कुल	रु. 9858	रु. 9358	रु. 8858
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 492.9	रु. 467.9	रु. 442.9
न्यूनतम मजदूरी	रु.10350.9	रु. 9825.9	रु. 9300.9

**2. मुंबई दूकानें तथा प्रतिष्ठान:-**

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 5800	रु. 5400	रु. 5000
विशेष भत्ता	रु. 4104	रु. 4104	रु. 4104
कुल	रु. 9904	रु. 9504	रु. 9104
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 495.2	रु. 475.2	रु. 455.2
न्यूनतम मजदूरी	रु.10399.2	रु. 9979.2	रु. 9559.2

**3. सीपज़ (इलेक्ट्रॉनिक्स) :-**

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 6300	रु. 5800	रु. 5300
विशेष भत्ता	रु. 3924	रु. 3924	रु. 3924
कुल	रु. 10224	रु. 9724	रु. 9224
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 511.2	रु. 486.2	रु. 461.2
न्यूनतम मजदूरी	रु. 10735.2	रु.10210.2	रु. 9685.2

श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार - 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से विशेष भत्ता संशोधित किया जाता है।



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,

सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.

Tel: 022-28294728 / 28294756

Fax: 022-28291754, E-mail: dcseepz\_mah@nic.in

F.NO. SEEPZ SEZ/LAB/505/2015 -16/Part II/03368 Dated: 08/02/2019

**CIRCULAR NO./LAB/18/2018-19**

In accordance with the powers delegated to the Development Commissioner of SEZ by the Govt. of Maharashtra, under the Minimum Wages Act, 1948 the jurisdiction in respect of units in SEZs for implementation as well as for taking necessary action for violation, if any, are with this office. As on date, the minimum wages applicable to the un-skilled, semi-skilled and skilled workers/employees in the SEEPZ (Electronics) and Gems and Jewellery Sectors are as mentioned below:- (Special Allowance revised for the period of 01/01/2019 to 30/06/2019)

**1. Gem & Jewellery Units (Residuary Employment):-**

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wage	Rs. 5500	Rs. 5000	Rs. 4500
Special Allowance	Rs. 4358	Rs. 4358	Rs. 4358
Total	Rs. 9858	Rs. 9358	Rs. 8858
HRA (5%)	Rs. 492.9	Rs. 467.9	Rs. 442.9
Minimum Wages	Rs.10350.9	Rs. 9825.9	Rs. 9300.9

**2. Bombay Shops and Establishment:-**

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 5800	Rs. 5400	Rs. 5000
Special Allowance	Rs. 4104	Rs. 4104	Rs. 4104
Total	Rs. 9904	Rs. 9504	Rs. 9104
HRA (5%)	Rs. 495.2	Rs. 475.2	Rs. 455.2
Minimum Wages	Rs.10399.2	Rs. 9979.2	Rs. 9559.2

**3. SEEPZ (Electronics) :-**

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 6300	Rs. 5800	Rs. 5300
Special Allowance	Rs. 3924	Rs. 3924	Rs. 3924
Total	Rs.10224	Rs. 9724	Rs. 9224
HRA (5%)	Rs. 511.2	Rs. 486.2	Rs. 461.2
Minimum Wages	Rs.10735.2	Rs.10210.2	Rs. 9685.2

The Special Allowance is revised twice in a year i.e. with effect from 1<sup>st</sup> January and 1<sup>st</sup> July by the appropriate authority in the Labour Department of the Govt. of Maharashtra.

.....2/-

यूनिटों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई कर्मचारी किसी भी समय न्यूनतम मजदूरी से वंचित न रहे। ज़ोन प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता रहे, निर्दिष्ट अवधि के भुगतान रजिस्ट्रों की फोटो कापियां मंगवाकर रिकार्डों तथा रजिस्ट्रों की जांच नियमित रूप से करता रहेगा।



(राजू कुमार)

सहाय्यक विकास आयुक्त  
सीपज़-सेज़

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1) सीपज़ अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी यूनिट
- 2) प्रेसिडेंट , सीपज़ जेम्स तथा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन , बीएफसी बिल्डिंग
- 3) चेयरमैन , सीमा, सीपज़ - सेज़, मुंबई
- 4) क्षेत्रीय निदेशक 100% ईओयू तथा सेज़ के ईपीसीईएस
- 5) आईटी अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

The units are directed to ensure that no employee is deprived of the minimum wages at any point of time. The Zone Administration will be regularly verifying the records and registers to ensure payment of minimum wages by employers, by obtaining photo copies of payment register for specified period.



(Raju Kumar)  
Asstt. Development Commissioner  
SEEPZ-SEZ

Copy to. :-

- ✓(1) All the SEEPZ units.
- (2) The president, SEEPZ Gems & Jewellery Manufacturers Association, BFC Bldg.
- (3) Chairman, SEEMA, SEEPZ-SEZ, Mumbai.
- (4) The Regional Director, EPCES for 100% EOU & SEZ,
- (5) IT - Section – for uploading on website.